



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची-8240004

अधिसूचना सं० PC/NOC/HQ/77/02 B-08

राँची, दिनांक 09/10/12


अधिसूचना

पर्षद मंडल की 24वीं बैठक दिनांक 22.05.2012 के कार्यवाली सं० 4 में लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना सं० 12, दिनांक 21.04.2012 द्वारा Flexo Printing Press, Slag dump yard/ Slag handling & Processing facilities का निर्धारित एन0ओ0सी0 गाईड लाईन निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :

SN	Type / Category of Industries /Unit	From NH (in meter)	From SH (in meter)	From Dist. Metalled Road (in meter)	From Railway Line (in meter)	From River / water Bodies (in meter)	From Any other River (in meter)	From Habitation (More than 200 people) (in meter)	From Forest or Forest Land (in meter)	Remarks
1	Flexo Printing Press	50	50	50	50	50	50	200	200	पुर्व में वन या वन भू की न्यूनतम दूरी 500 म निर्धारित थी ।
2	Slag dump yard/ Slag handling & Processing facilities	50	50	50	50	50	50	200	200	पुर्व में वन या वन भू की न्यूनतम दूरी 500 म निर्धारित थी ।

अन्य इकाईयों के लिए पूर्व से निर्धारित गाईड लाईन पूर्ववत रहेंगे।


यह अधिसूचना आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी समझा जायेगा ।


(एस० के० सिन्हा)
सदस्य सचिव

ज्ञापक PC/NOC/HQ/77/02

राँची, दिनांक

प्रतिलिपि – सचिव, वन एवं पर्यावरण, झारखण्ड सरकार, राँची /अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/ निदेशक खान, झारखण्ड सरकार, राँची / सभी उपायुक्त/ सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला खनन पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी / प्रश्नसी पदाधिकारी / सभी प्रश्नखा पदाधिकारी एवं संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(एस० के० सिन्हा)
सदस्य सचिव

लगातार पृष्ठ (2)...